

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1602)/2024/17

दिनांक : 13/01/2025

आदेश

वित्त विभाग के मेगोरडम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006--प्रथम दिनांक 8.8.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित कार्मिक (परिविक्षाधीन) को उनकी प्रार्थना पर स्वयं की अस्वस्थता के कारण रोग/आरोग्य प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	असाधारण अवकाश अवधि
1	श्री नीरज कुमार प्रयोगशाला सहायक	जिला चिकित्सालय, अलवर।	दिनांक 08.10.2024 से 04.11.2024 तक 28 दिवस

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-1602)/2024/17

दिनांक : 13/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय अलवर।
2. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री नीरज कुमार, प्रयोगशाला सहायक (परिविक्षाधीन) कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-01-2025 05:45:19